<u>रिवर रैंचिग कार्यक्रम</u>
<u>(शपथ–पत्र–नोटरी के द्वारा)</u>

1. मैं श्री / श्रीमति / सुश्री.......................................पिता / पति श्री..., लिंग–.....................................,आयु–.............., पोस्ट–............................,थाना–..........................., प्रखण्ड–................................., जिला–....................................... का निवासी हूँ।
2. मैं निजी / पी०पी०पी०(सरकारी) के तहत् बन्दोबस्त / सार्वजनिक क्षेत्र के–कार्प मत्स्य बीज हैचरी का ऑनर / संचालक हूँ। उक्त हैचरी का नाम....................................है तथा ग्राम................. पोस्ट–....................................,थाना–......................,प्रखण्ड–.......................,जिला–..........................में अवस्थित है।
3. इस हैचरी का वार्षिक स्पॉन उत्पादन क्षमता........................मिलियन / लाख है, हैचरी का कम्पलेक्स में.....................(संख्या).............................एकड़ जलक्षेत्र का रियरिंग स्पेस है जिसका औसत वार्षिक फ्राई एवं फिंगरलिंग क्रमशः............................लाख एवं...............................लाख है।
4. मेरा उपर्युक्त वर्णित मत्स्य बीज हैचरी विवाद–रहित है तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में, मैं स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा रिवर रैंचिग कार्यक्रम योजनान्तर्गत देय लाभ से वंचित रहूँगा / रहूँगी।
5. इस योजना के तहत् प्रथम किश्त वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करने के पश्चात् अगर मेरे द्वारा कतिपय कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती है तो इस परिस्थिति में मेरे द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता की राशि वसुलनीय होगी अन्यथा उक्त राशि की वसूली हेतु मेरे विरूद्ध नीलाम–पत्र वाद दायर की जाएगी।
6. योजनान्तर्गत चयनित नदी में पुनर्स्थान हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थल पर मैं जीवित अवस्था में मत्स्य अंगुलिका आपूर्ति करूँगा / करूँगी।
7. मैं नदी से ब्रुड–संग्रहण, एक प्रजाति के मछली का एक बार प्रजनन, स्पॉन से लेकर अंगुलिका का संवर्द्धन, पुनर्स्थापन हेतु आपूर्ति की गयी मत्स्य अंगुलिका आदि सभी आँकड़ा पारदर्शी तरीके से अलग से संधारित किया जाएगा तथा अभिप्रमाणित छायाप्रति आपूर्ति हेतु देय राशि की अंतिम भुगतान के पुर्व जिला मत्स्य कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करूँगा / करूँगी।
8. मैं स्वेछा से ''स्वैच्छिक रिवर रैंचिग कार्यक्रम'' में योगदान **<u>(हॉ / नहीं)</u>** दूँगा / दूँगी तथा उपर्युक्त वर्णित मत्स्य बीज हैचरी के वार्षिक स्पॉन / फ्राई / अंगुलिका उत्पादन का एक प्रतिशत स्पॉन / फ्राई / अंगुलिका...नदी में पुनर्स्थापित **<u>(हॉ / नहीं)</u>** करूँगा / करूँगी।
9. मैं इस योजना से संबंधित राज्यादेश 365 दिनांक–23.01.2023 में अंकित दिशा–निर्देश एवं शर्ते तथा विभाग द्वारा भविष्य में अगर कोई दिशा–निर्देश निर्गत किया जाता है, तो मैं उसका पालन करूँगा / करूँगी।

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
नाम एंव पूर्ण पता।